बजट 2008-2009

वित्त मंत्री

पी. चिदम्बरम

का

भाषण

29 फरवरी, 2008

अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2008-09 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस सदन ने और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने मुझे सरकार की ओर से पांचों बजट प्रस्तुत करने का सम्मान प्रदान किया है- यह एक ऐसा अनूठा सम्मान है जो मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों में केवल डा. मनमोहन सिंह को प्राप्त था। उसके बाद आज मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

I. अर्थव्यवस्थाः एक सिंहावलोकन

2. माननीय सदस्यगण, भारत के विकास की दास्तान, अब तक, एक दिलचस्प और प्रेरणादायी दास्तान रही है। 1 जनवरी, 2005 से आरम्भ होकर, 31 दिसम्बर, 2007 तक लगातार 12 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज हुई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पहले तीन वर्षों में, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप औसतन 8.8 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर हासिल हुई। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, मौजूदा वर्ष में भी वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत होगी-यद्यपि मुझे विश्वास है कि हम 8.8 प्रतिशत का औसत बनाए रखेंगे। "सेवा" और "विनिर्माण" क्षेत्र इस वृद्धि के नियंता बने हुए हैं, जिनमें क्रमशः 10.7 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

3. फिर भी, 2007-08 विगत चार वर्षों में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है। वर्ष के आरम्भ में, वैश्विक अर्थव्यवस्था का परिदृश्य अच्छा था। हमारी अपनी नीतियों तथा वैश्वीकरण के बलबूते हमारी अर्थव्यवस्था एक और वर्ष उच्च वृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त थीः वास्तव में 2007-08 के पूर्वार्ध में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई। लेकिन, अगस्त 2007 से, विकसित देशों के वित्तीय बाजारों में बहुत अधिक उथल-पुथल दिखाई दी है जो अभी भी जारी है। विकासशील देशों के लिए इसके परिणाम भी अभी स्पष्ट नहीं हैं।

4. इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में निराशा हाथ लगी है। 2007-08 की पहली छमाही में अच्छी शुरूआत के बावजूद, कृषि में सम्पूर्ण वर्ष की वृद्धि दर केवल 2.6 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है।

5. दूसरे मंदीकारक जोखिम भी रहे हैं। कच्चे तेल, विक्रय-वस्तुओं और खाद्यान्नों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अप्रैल 2007 से जनवरी 2008 तक तेजी से बढ़ी हैं। कच्चे तेल की स्थिति से यह सदन भली-भांति अवगत है। विक्रय-वस्तुओं में, लौह अयस्क, तांबा, सीसा, टिन, यूरिया आदि की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और चावल की कीमतें क्रमशः 88 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। ये सभी रुझान मुद्रास्फीतिकारी हैं, और घरेलू कीमतों, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव है। परिणामस्वरुप, खाद्य पदार्थों के आपूर्ति पक्ष का प्रबन्ध आगामी वर्ष में सर्वाधिक निर्णायक चुनौती रहेगा।

6. हमने यह भी देखा है कि पूंजी अन्तर्प्रवाह चालू खाता घाटे से बहुत अधिक है। यह मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। इसका समाधान मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की अवशोषक क्षमता बढ़ाने में निहित है। अल्पावधि में, यह हमारी जिम्मेदारी है कि इन प्रवाहों का अधिक सक्रियतापूर्वक प्रबन्धन करें। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से स्थिति पर कड़ी नजर रखना और ऐसे अस्थाई उपाय करना जारी रखेगी जो मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप पूंजी प्रवाहों में संतुलन लाने के लिए आवश्यक होंगे।

7. मुद्रास्फीति को काबू में रखना हमारी नीति का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, "मैं समझता हूं कि हमारे देश में कोई भी सरकार विकास प्रक्रिया को बाधित किए बिना, उपयुक्त मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के प्रति बेपरवाह नहीं रह सकती है।" नीति का इससे अधिक स्पष्ट कथन नहीं हो सकता है। तथापि, चूंकि पूरे विश्व में मंदीकारक जोखिम बढ़े हैं, अतः हमें चौकस रहना चाहिए और मूल्य स्थिरता के साथ-साथ विकास का लक्ष्य हासिल करने की हमारी नीतियों में तीव्र समायोजन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

8. सर्वप्रथम, मैं कृषि की चर्चा करूंगा। इस समय, संक्षेप में और बाद में कुछ विस्तार पूर्वक। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि 2007-08 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 219.32 मिलियन टन होगा और यह अब तक का एक रिकार्ड होगा। विशेष रूप से, चावल का उत्पादन 94.08 मिलियन टन; मक्का का 16.78 मिलियन टन; सोयाबीन 9.45 मिलियन टन; कपास 23.38 मिलियन गांठें (प्रत्येक 170 किग्रा.) होने का अनुमान है और इन सभी का उत्पादन अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है। सरकार इस बात के प्रति सचेत है कि हालांकि बहुत कुछ किया गया है, और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। पिछले बजट के बाद से, सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति तैयार की है और घोषित की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4,882 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत की है। दोनों योजनाएं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएंगी। हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इस समय, मैं इस सदन के समक्ष कृषि क्षेत्र में की गई अनेक नई पहलों का उल्लेख करूंगा।

विकास गाथाः तीव्रतर और अधिक समावेशी

9. मैं भारत की तरक्की की बात पर लौटता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी निरन्तर प्रगति पहले कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए और अब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा आगे बढ़ाए गए आर्थिक सुधारों की नीति का नतीजा है।

10. यदि 1984 और 1991 भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में निर्णायक मोड़ थे तो 2004 एक अन्य निर्णायक मोड़ था। इस विश्वास पर कि सतत वृद्धि बनाए रखी जा सकती है, सं.प्र.ग.

सरकार ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में विकास को अधिक समावेशी बनाने के अपने आशय की घोषणा की थी। महोदय, मैं, सम्मानपूर्वक, इस सदन से निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर समावेशी विकास के संबध में हमारे रिकार्ड का आकलन करने का आग्रह करता हूं:

- इस सरकार के पहले दो वर्षों में कृषि ऋण दुगना हो गया और मार्च 2008 तक इसके 240,000 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचना तय है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक उपाय साबित हुआ है।
- मध्याह्न भोजन योजना विश्व का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत 11.4 करोड़ बच्चे लाभान्वित होते हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनमें 8,756 को 24x7 आधार पर चलाया गया है, को सुदृढ़ कर उन्नत स्वास्थ्य देखभाल को ग्रामीण भारत तक पहुंचाया गया है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में आवासीय विद्यालयों में 182,000 बालिकाओं का दाखिला कराया गया है जिससे शिक्षा में लिंग भेद को पाटने में मदद मिली है।

भारत निर्माण

11. भारत निर्माण में 2007-08 में प्रभावशाली प्रगति हुई है। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अब 1,000 दिन से अधिक पुराना है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, वर्ष के प्रत्येक दिन 290 बस्तियों को पेयजल मुहैया कराया जाता है और 17 बस्तियों को हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष के प्रत्येक दिन 52 गांवों को टेलीफोन उपलब्ध कराए जाते हैं और 42 गांवों में बिजली पहुंचाई जाती है। वर्ष के प्रत्येक दिन, 4,113 ग्रामीण घरों का निर्माण पूरा किया जाता है।

12. अध्यक्ष महोदय, जैसे ही मैं यह भाषण लिखने बैठा था, एक पतली किताब मेरी नजर में आई, जिसका शीर्षक था "इंदिरा गांधी-सिलेक्टेड सेईंग्स"। चंद मिनटों में ही मुझे यह स्वर्णिम उक्ति मिल गई जिसे मैं उद्धृत करता हूं "कोई व्यक्ति जितना अधिक करता है, जितना अधिक प्रयास करता है, उतना ही अधिक करने में वह सक्षम होता है।" अब तक मैंने जो कहा है, वह वास्तव में अधिक समावेशी विकास का प्रमाण है, परन्तु यदि आप मुझ से पूछें कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं तो मेरा उत्तर होगा "हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए"। वर्ष 2008-09 का बजट हमारे और अधिक दूरदर्शी होने तथा अधिक कार्य करने और बेहतर कार्य करने का अवसर है।

II. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाः निर्णायक दूसरा वर्ष

13. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मजबूत वृद्धि के साथ आरम्भ हुई है। इससे पूर्व कभी भी हमने कोई योजना पहले वर्ष में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से आरंभ नहीं की थी। सरकार योजना की सफलता के लिए योजना के दूसरे वर्ष को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती है। वर्ष 2008-09 सुदृढ़ीकरण; मजबूत वित्तीय आधारों पर चल रहे कार्यक्रमों में मजबूती लाने; कार्यान्वयन की गहन मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने; तथा प्राप्त लक्ष्यों और उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में परिणामों को मापने का वर्ष होना चाहिए। योजना दस्तावेज में यह परिकल्पित है कि दूसरे वर्ष में सकल बजटीय सहायता 228,725 करोड़ रुपए होगी। हमारे विचार में, यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। अतः मैं सकल बजटीय सहायता को बढ़ाकर 243,386 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। यह 2007-08 में किए गए आबंटन की तुलना में 38,286 करोड़ रुपए अधिक होगी।

14. सकल बजटीय सहायता में से, केन्द्रीय आयोजना के लिए आबंटन 179,954 करोड़ रुपए होगा, जो 2007-08 की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक होगा।

15. मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सभी जारी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएंगी।

16. भारत निर्माण के लिए, मैं 2007-08 में किए गए 24,603 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में, 31,280 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक सहित) का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

शिक्षाः सर्व शिक्षा अभियान

17. शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे दो स्तम्भ हैं, जिन पर सामाजिक क्षेत्र में सुधारों की इमारत टिकी हुई है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2007-08 के कुल आवंटन (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) 28,674 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर 34,400 करोड़ रुपए किया जाएगा।

18. इसमें से, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 13,100 करोड़ रुपए; मध्याह्न भोजन योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए; और माध्यमिक शिक्षा को 4,554 करोड़ रुपए दिए जाएंगें।

19. सर्व शिक्षा अभियान का केन्द्र बिन्दु प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने और आधारभूत ढांचे के स्थान पर बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना; शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना; तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना होगा।

20. 6,000 उच्च उत्कृष्टता वाले मॉडल स्कूलों की स्थापना के लक्ष्य के साथ 2008-09 में मॉडल स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मैं इस नई योजना के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं।

जवाहर नवोदय विद्यालय

21. जवाहर नवोदय विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय हैं। इन विद्यालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अधिक सुलभ्य बनाने के उद्देश्य से, सरकार की योजना 20 जिलों में ऐसे नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने की है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की बहुलता होगी। मैं इस प्रयोजन हेतु 2008-09 में 130 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

22. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्प संख्यक समुदायों की बालिकाओं की शिक्षा में समानता के मुद्दे का निराकरण करने के उद्देश्य से की गई थी। अब तक, 1,754 विद्यालय आरम्भ किए गए हैं और मैं शैक्षणिक रूप से पिछड़े खण्डों में 410 और विद्यालयों की स्थापना के लिए निधियां आबंटित करने (सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में) का प्रस्ताव करता हूं। मैं बालिका विद्यालयों से सम्बद्ध नए छात्रावासों की स्थापना करने अथवा मौजूदा छात्रावासों का उन्नयन करने हेतु 80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति

23. पिछले वर्ष, मैंने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की थी ताकि छात्र आठवीं कक्षा से आगे और बारहवीं कक्षा तक शिक्षा जारी रख सकें। मैंने इस वायदे के साथ 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था कि अगले तीन वर्षों के लिए समान राशि उपलब्ध कराई

जाएगी। यह योजना 2008-09 से क्रियान्वित की जाएगी और इसमें 100,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अपना वायदा पूरा करते हुए, मैं 750 करोड़ रुपए आवंटित करता हूं जिससे चार वर्ष में 3000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि का निर्माण हो सकेगा।

नेहरू युवा केन्द्र

24. 123 जिलों में नेहरू युवा केन्द्र नहीं हैं। मैं इन जिलों में से प्रत्येक में एक केन्द्र की स्थापना के लिए 2008-09 में 10 करोड़ रुपए का आवंटन करने और पहले वर्ष में आवर्ती व्यय को वहन करने का प्रस्ताव करता हूं।

मध्याह्न भोजन योजना

25. मध्याह्न भोजन योजना की प्रसुविधा शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3,479 खंडों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए दी गयी है । इस योजना का विस्तार अब देश में सभी विकास खंडों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए किया जाएगा। इससे 2.5 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को लाभ पहुंचेगा जिससे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की कुल संख्या 13.9 करोड़ हो जाएगी।

उच्च शिक्षा संस्थान

26. ज्ञान शक्ति है। ज्ञान से ही 21वीं सदी में सफलता के द्वार खुलेगें। भारत के पास ज्ञान से परिपूर्ण समाज बनने का अवसर है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, शिलांग में एक भारतीय प्रबंध संस्थान; मोहाली, पुणे और कोलकाता में एक-एक आईआईएसईआर तथा कांचीपुरम में एक आईआईआईटी ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। सरकार अब तक कवर न किए गए राज्यों में प्रत्येक में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। वर्ष 2008-09 में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ हमारा इसे शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में एक-एक आईआईटी; भोपाल और तिरुवनन्तपुरम में दो आईआईएसईआर; तथा भोपाल और विजयवाड़ा में योजना और वास्तुकला के दो विद्यालय खोलने का हमारा प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री जी के वायदे के अनुसार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के और अधिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

27. मैं डक्कन स्नातकोत्तर कालेज और अनुसंधान संस्थान, पूणे को 5 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव भी करता हूँ। यह भारत में आधुनिक शिक्षा के सर्वाधिक प्रचीन शैक्षणिक संस्थानों में है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

28. हमें अपने बच्चों को विज्ञान और अनुसंधान तथा विकास विषयों में कैरियर चुनने को प्रोत्साहित करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उत्प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान वृत्ति में नवोन्मेष (इन्सपायर) नामक एक योजना प्रारम्भ करेगा जिसमें नौजवान शिक्षार्थियों (10-17 वर्ष) की छात्रवृत्तियों, सतत विज्ञान शिक्षा छात्रवृत्तियां (17-22 वर्ष) और अनुसंधान कैरियर (22 से 32 वर्ष) के लिए अवसरों को शामिल किया जाएगा। मैं ज्ञान आधारित समाज के निर्माण हेतु इस उत्प्रेरित योगदान के सम्बन्ध में वर्ष 2008-09 के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

29. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा समय-समय पर की गयी सिफारिशों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। कुछ सिफारिशों को ग्यारहवीं योजना में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने

सभी ज्ञान संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्राडबैंड नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ने की महत्वपूर्ण सिफारिश स्वीकार कर ली है। इससे संसाधनों में भागीदारी तथा संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के लिए सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

स्वास्थ्य

30. मैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) 16,534 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं। इसमें वर्ष 2007-08 में किए गए आवंटन की तुलना में, 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

31. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण क्रियाशील, समुदाय आधारित, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली की स्थापना करना है। 462,000 सम्बद्ध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) और लिंक वर्करों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा वे कार्यरत हैं। 177,924 ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समितियां कार्यरत हैं। 323 जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य नियत किए गए हैं और मैं इस मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 12,050 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

एचआईवी/एड्स

32. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 993 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। अध्ययन में यह पाया गया है कि एचआईवी/एड्स की व्यापकता दर 0.9 प्रतिशत से घटकर 0.36 प्रतिशत रह गयी है। यह कुछ हद तक सन्तोष का विषय है।

पोलियो

33. पोलियो को समाप्त करने का अभियान एक संशोधित रणनीति के तहत जारी है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उच्च जोखिम वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2008-09 में 1,042 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

34. वर्ष 2008-09 में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना है। प्रथम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले प्रत्येक ऐसे कामगार और उसके परिवार के लिए 30,000 रुपए के स्वास्थ्य कवर की व्यवस्था होगी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि अधिकांश राज्य इस योजना में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं और यह 1 अप्रैल, 2008 से दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान में प्रारम्भ की जाएगी। मैं वर्ष 2008-09 में केन्द्र के हिस्से के प्रीमियम के बतौर 205 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम

35. अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम वृद्ध जनों के लिए होगा। वर्ष 2008-09 में 400 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय से राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। अन्य उपायों के साथ-साथ, हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो राष्ट्रीय वृद्धजन देखरेख संस्थान, आठ क्षेत्रीय केन्द्र और प्रत्येक राज्य में एक मेडिकल कालेज/तृतीयक (टरशियरी) अस्पताल में एक जरा चिकित्सा देखभाल विभाग स्थापित करेंगे।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

36. एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के सार्वजनीकरण का कार्य जारी है। दिसम्बर, 2007 के अन्त में, 5,959 आईसीडीएस परियोजनाएं और 932,000 आंगनवाड़ी केन्द्र और छोटे आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत थे। लाभार्थियों की अभिवृद्धित संख्या बढ़ कर 629 लाख बच्चे और 132 लाख गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं हो गयी। मैं इस योजना के लिए आवंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 5,293 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 6,300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

37. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मेहनताना 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी सहायकों का मेहनताना 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। 18 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इस बढ़ोत्तरी से लाभान्वित होंगी।

अग्रगामी (फ्लैग शिप) कार्यक्रम

38. जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आठ अग्रगामी कार्यक्रम हैं। मैंने अभी तक शिक्षा क्षेत्र के दो (एसएसए और एमएमएस) और स्वास्थ्य क्षेत्र के दो (एनआरएचएम और आईसीडीएस) कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है। अब मैं चार अन्य अग्रगामी कार्यक्रमों पर प्रस्तावित आवंटन का उल्लेख करुंगाः

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) को भारत के सभी 596 ग्रामीण जिलों में प्रारम्भ किया जाएगा। प्रारम्भ में, हम इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे। इस पर किसी के दिमाग में यह आशंका नहीं होनी चाहिएः ज्यों मांग में बढ़ोत्तरी होगी, रोजगार की वैध गारंटी की पूर्ति हेतु और अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी आधारभूत संरचना में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह मिशन शहरी शासन तथा नगरों से सम्बन्धित कानूनों में सुधार लाने में भी सफल हुआ है। मैं आवंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 5,482 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 6,866 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।
- राजीव गांधी पेयजल मिशन का उद्देश्य कवर न की गयी बस्तियों और छूट गयी बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना और स्वच्छ पेयजल से जुड़े गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। मैं आबंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 6,500 करोड़ रुपए के मुकाबले, बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 7,300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।
- अभी तक इस मिशन के अन्तर्गत जल की कमी वाले स्थानों के स्कूली बच्चों के लिए पृथक संघटक नहीं है। हमारे बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए, मैं, मिशन को पृथक उप-शीर्ष के अन्तर्गत निधियां आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि जल की कमी वाली बस्तियों में प्रत्येक स्कूल को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एकल प्रणाली संस्थापित की जाए। प्रत्येक प्रणाली की लागत, उसकी प्रौद्योगिकी तथा डिजाइन को देखते हुए, 15,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच होने का अनुमान है। चूंकि चार वर्षों हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, अतः मैं, वर्ष 2008-09 में 200 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।
- पूर्ण स्वच्छता अभियान में लोगों की आदतों तथा मनोवृत्तियों में पूरी तरह बदलाव लाना निहित है, और यह एक अनवरत प्रक्रिया है। मैं, वर्ष 2008-09 में 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

अपक्षारीकरण संयंत्र

39. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने जुलाई 2004 में चेन्नई के निकट खारापन दूर करने का एक संयंत्र लगाने के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। अब तमिलनाडु सरकार से सरकारी निजी भागीदारी के तहत एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। चूंकि इस प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु जांच की जाएगी, इसलिए मैं, वर्ष 2008-09 में इस परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

40. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा और इसके आबंटन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) को 1,455 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। इस राशि सहित, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आबंटन के साथ डोनर के सम्बन्ध में कुल बजट आबंटन, वर्ष 2007-08 में किए गए 14,365 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 16,447 करोड़ रुपए हो जाएगा।

41. पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष रूप से अरूणाचल प्रदेश तथा सीमावर्ती क्षेत्र विशेष समस्याओं का सामना करते हैं और जिनको सामान्य तरीकों से अथवा सामान्य स्कीमों के माध्यम से नहीं निपटाया जा सकता। इसलिए, सरकार का इन क्षेत्रों की त्वरित आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें विशेष व्यवस्था के तहत पूरा करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया पर कार्रवाई करने हेतु, मैं इस उद्देश्य हेतु समर्पित निधि में 500 करोड़ रुपए की राशि रखने का प्रस्ताव करता हूं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक

42. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा।

विकास और वित्त निगम

43. कतिपय लाभ वंचित वर्गों के लिए विकास और वित्त निगमों की स्थापना की गयी है। मैं इन निगमों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से अतिरिक्त इक्विटी सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं:

		करोड़ रुपए
1.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम	75.00
2.	कमजोर वर्गों के लिए तीन राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम जिनमें शामिल हैं: (i) सफाई कर्मचारी (ii) अनुसूचित जाति (iii) पिछड़ा वर्ग	106.50
3.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	50.00
4.	राष्ट्रीय विकलांग विकास निगम	9.00

छात्रवृत्तियां

44. पिछले बजटों में, मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कई मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की घोषणा की थी।

सभी कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जा चुका है। ये सभी कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में पर्याप्त निधियों के साथ जारी रहेंगें:

अनुसूचित जातिः	804 करोड़ रुपए
अनुसूचित जनजाति	195 करोड़ रुपए
अन्य पिछड़ा वर्ग	164 करोड़ रुपए
अल्पसंख्यक (मैट्रिकोत्तर)	100 करोड़ रुपए

45. मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम हेतु वर्ष 2008-09 में 75 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, यह कार्यक्रम एम.फिल. तथा पी.एचडी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले अनु.जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

46. वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ की गयी प्रक्रिया के अनुसरण में, मैंने बजट दस्तावेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी योजना का विवरण शामिल किया है। मैंने अनन्य रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों हेतु 3,966 करोड़ रुपए और 18,983 करोड़ रुपए, उन स्कीमों हेतु व्यवस्था की है, जहां कम से कम 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए नियत है।

अल्पसंख्यक

47. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आवंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार ने न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर समिति रिपोर्ट पर तेजी से अमल करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2007-08 में घोषित स्कीमों के अलावा, वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित स्कीमों/उपायों को कार्यान्वित करना प्रस्तावित है:

- 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से प्रत्येक जिले में एक बहु क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाएगी। वर्ष 2008-09 में आवंटन 540 करोड़ रुपए होगा।
- 80 करोड़ रुपए के आबटन से मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना;
- मदरसा शिक्षा को आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित की जाएगी, और वर्ष 2008-09 में इसके लिए 45.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया;
- पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों में दिसम्बर, 2007 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 256 शाखाएं खोली गयी। मार्च, 2008 तक 288 शाखाएं और 2008-09 में कई और शाखाएं खोली जाएंगी;
- इस वर्ष प्रारम्भ की गयी कार्रवाई को जारी रखते हुए, अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध अधिक अभ्यर्थियों को केन्द्रीय-अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती किया जाएगा।

48. मैं मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की कारपस निधि को बढ़ाने हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

महिला और बाल

49. मैं स्वीकार करता हूं कि नीति निर्माता अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि आधी जनसंख्या महिलाओं की है और वे सभी कार्यक्रमों तथा स्कीमों में बराबर भागीदारी पाने तथा समान मत व्यक्त

करने की पात्र हैं। लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था (जेंडर बजटिंग) ने व्यापक स्वीकृति और विश्वसनीयता प्राप्त की है। चार और मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठों की स्थापना की है और इनकी कुल संख्या 54 हो गयी है। माननीय सदस्य बजट दस्तावेज में एक विवरण देखेंगे जिसमें 27 मंत्रालयों/विभागों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों की 33 अनुदान-मांगें शामिल हैं। इस विवरण के अनुसार, 100 प्रतिशत महिला विशिष्ट योजनाओं के लिए 11,460 करोड़ रुपए और कम से कम 30 प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 16,202 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

50. हम इस वर्ष एक अन्य पहल करेंगे। बजट दस्तावेज में बाल सम्बद्ध योजनाओं का एक विवरण शामिल किया गया है और माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बाल सम्बन्धी इन योजनाओं पर कुल परिव्यय 33,434 करोड़ रुपए होगा।

51. मैं महिला और बाल विकास मंत्रालय को वर्ष 2008-09 में 7,200 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह वर्ष 2007-08 में किए गए आवंटन की तुलना में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

स्व-सहायता समूह

52. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जनश्री बीमा योजना संचालित कर रहा है और यह 44 श्रेणी के लोगों को जीवन तथा स्थायी विकलांगता का कवर प्रदान करता है। इनमें से एक श्रेणी स्व-सहायता समूहों की है, लेकिन अभी तक केवल 35,000 स्व-सहायता समूहों को शामिल किया गया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए, कि 30 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह बैंकों की ऋण व्यवस्था से जुड़े हैं, मै इस श्रेणी पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एलआईसी से यह प्रस्ताव करता हूं कि वह इस स्कीम का शीघ्रता से विस्तार करे और ऋण के लिए बैंकों से जुड़े सभी महिला स्व-सहायता समूहों को शामिल करें। चूंकि प्रीमियम का आधा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से सब्सिडी रूप में प्राप्त है, इसलिए मैं, इस कारपस निधि को 500 करोड़ रुपए का अंशदान इस आश्वासन के साथ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं कि जैसे ही इस स्कीम का विस्तार होगा, इसे वार्षिक अंशदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ यह स्कीम महिलाओं के सम्बन्ध में उन्हें जीवन तथा स्वास्थ्य कवर की व्यवस्था करते हुए एक नई प्रणाली का सूत्रपात करेगी।

सकल बजटीय सहायता का सम्पूरण

53. माननीय सदस्य देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं के लिए आवंटन भरपूर हैं। मैं निःसंकोच यह स्वीकार करता हूँ कि इस दिशा में और अधिक आवंटन किया जा सकता है तथा यह किया भी जाएगा। हालांकि इसके लिए एक शर्त है और वह है कार्य निष्पादन की। मैंने पिछले बजट में एक आयोजना "ख" की घोषणा की थी और उसके लिए मैं दो पूरक मांगों के माध्यम से 8,365 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयोजना निधियों की व्यवस्था कर सका और तीसरी के माध्यम से भी शीघ्र की जाएगी। इस समस्या की जड़ कार्यान्वयन में निहित है- और कार्यान्वयन अधिकाशतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस वर्ष भी मेरा इरादा 10,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का है जिसे आयोजना पूंजीगत व्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यह धनराशि -आयोजना "ख के अंतर्गत- केंद्र सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को उपलब्ध होगी जो विभिन्न आयोजना स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित भौतिक और गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

III कृषि

54. मैं अब पुनः कृषि विषय पर आता हूँ।

55. मैंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पहले ही उल्लेख किया है।

कृषि ऋण

56. कुछ कमियों के होते हुए भी, कृषि ऋण की वृद्धि प्रभावशाली रही है और इसके लिए मैं अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को धन्यवाद देता हूँ । उनके बीच किसी एक वर्ष के दौरान संवितरित कृषि ऋण लगभग 75-79 प्रतिशत बैठता है। हम 2007-08 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार कर जाएंगे। मैं, 2008-09 के लिए 280,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

57. अल्पावधिक फसल ऋण 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संवितरित किए जाते रहेंगे और मैं 2008-09 में ब्याज सहायता के लिए 1,600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान कर रहा हूँ।

कृषि में निवेश

58. कृषि को अन्य बातों के साथ, जो रूग्ण बनाती है वह है घटता निवेश। यद्यपि, अब व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में समग्र पूंजी निर्माण 2003-04 में 10.2 प्रतिशत के निम्न स्तर से सुधरकर 2006-07 में 12.5 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 प्रतिशत के वृद्धि दर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने की जरूरत है।

जल संसाधन

59. सरकार त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) और वर्षापोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा जल संसाधनों के प्रबंधन और संवर्धन में भारी निवेश कर रही है। एआईबीपी के अंतर्गत, इस वित्त वर्ष में 24 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 753 छोटी सिंचाई योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी इससे 500,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी। 2007-08 के लिए 3,580 करोड़ रुपये के अनुदान घटक के साथ परिव्यय 11,000 करोड़ रुपये था। इन्हें 2008-09 में बढ़ाया जा रहा है और 5,550 करोड़ रुपये के अनुदान घटक के साथ अनुमानित परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।

60. वर्षापोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है और इसे 348 करोड़ रुपये के आवंटन से 2008-09 में क्रियान्वित किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी तक जल संभरण विकास योजनाओं के लाभार्थी नहीं रहे हैं।

61. जनवरी 2006 में शुरू की गई सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दो साल के भीतर 548,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप और फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। मैं अतिरिक्त 400,000 हेक्टेयर को शामिल करने के लक्ष्य के साथ 2008-09 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

62. जल निकायों की मरम्मत, पुनरूद्धार और बहाली की परियोजना के अंतर्गत, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तीन करार 738 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि के हैं जो 900,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे। मुझे विश्वास है कि विश्व बैंक और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व कुछ अन्य राज्यों की सरकारों के बीच शीघ्र ऐसे करार हस्ताक्षरित होंगे।

सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम

63. जबकि ये चालू कार्यक्रम कृषि में निवेश का स्तर बढ़ाएंगे, और मैं सोचता हूँ कि हमें अपेक्षाकृत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की जरूरत है। सरकार का मत है कि सिंचाई परियोजनाओं

में भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। हाल में, सरकार ने 14 परियोजनाएं अनुमोदित की है जो राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में कतिपय मानदंड पूरे करती हैं और ग्यारहवीं योजना की अवधि के दौरान उनमें से अकेली तीन परियोजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के महत्व को स्वीकार करते हुए, मैं केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये के आरंभिक अंशदान से सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी) के गठन का प्रस्ताव करता हूं। राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इसकी इक्विटी में अंशदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हमारा अभिप्राय बहुत अधिक संसाधन जुटाने का है जिनकी आवश्यकता दीर्घकाल तक चलने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निधिपोषण के लिए होगी। मुझे आशा है कि मैं 31 मार्च 2008 से पहले इस निगम को एक कंपनी के रूप में निगमित कर सकूंगा।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

64. राष्ट्रीय बागवानी मिशन अब 18 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों के 340 जिलों को कवर करता है। 276,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया है और 56,000 हेक्टेयर के पुराने बागानों का पुनरूद्धार किया गया। नारियल, काजू और काली मिर्च जैसी फसलों के पुनरूज्जीवन पर विशेष बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 2008-09 में 1,100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

65. ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रति प्रयोगशाला 30 लाख रुपये की सरकारी सहायता से सरकारी और निजी क्षेत्र में 500 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, मैं, मार्च 2009 से पहले देश के 250 जिलों में एक पूर्णतया सज्जित चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के लिए कृषि मंत्रालय को 75 करोड़ रुपये के एकमुश्त आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

बागानी फसलें

66. पुनःरोपण और नवीकरण के लिए पिछले वर्ष गठित विशेष प्रयोजन चाय निधि को 2008-09 में 40 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं इलायची (10.68 करोड़ रुपये), रबड़ (19.41 करोड़ रुपये) और कॉफी (18 करोड़ रुपये) जैसी अन्य बागानी फसलों को ऐसी ही सहायता देने के लिए निधियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। चाय,रबड़, तंबाकू, मिर्च, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और इलायची के लिए फसल बीमा योजना अगले साल शुरू की जाएगी।

67. बागान क्षेत्र से सम्बद्ध मामलों पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं विकास अध्ययन केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम को एक बारगी 5 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। चाय अनुसंधान एसोसिएशन का जोरहाट स्थित टोक्लाई एक्सपेरीमेंटल स्टेशन वर्ष 2010 में अपनी शताब्दी मनाएगा। यह अपनी सुविधाओं के उन्नयन की प्रक्रिया में है और अपनी गतिविधियों का विस्तार अन्य पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तरी बंगाल और दार्जीलिंग में कर रहा है। मैं चाय अनुसंधान एसोसिएशन को 20 करोड़ रुपए का विशेष शताब्दी अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

68. हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पादप संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान को 29.4 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से एक स्वायत्त राष्ट्रीय स्वस्थ पादप प्रबंधन संस्थान में बदला जाएगा और उन्नयन किया जाएगा।

फसल बीमा

69. वैकल्पिक फसल बीमा योजना किसानों को स्वीकार्य और बीमाकर्ताओं के लिए व्यवहार्य है, जिस पर निर्णय के लंबित रहते राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को इसके वर्तमान स्वरूप में खरीफ

और रबी 2008-09 में जारी रखा जाएगा। मैं इस योजना के लिए 644 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं।

70. इसके अतिरिक्त, मौसम आधारित फसल बीमा योजना 5 राज्यों के चुनिंदा क्षेत्रों में एक प्रायोगिक योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। मेरा इरादा 2008--09 में इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का है।

71. सरकार किसानों को सब्सिडीयुक्त कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराती रहेगी। सरकार पोषक आधारित सब्सिडी व्यवस्था और सब्सिडी देने के वैकल्पिक तरीके अपनाने के प्रस्तावों की जांच कर रही है।

सहकारी ऋण संरचना

72. अल्पावाधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूज्जीवन संबंधी प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट 17 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। अब तक, केन्द्र सरकार द्वारा चार राज्यों को 1,185 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूजीवन संबंधी प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के पैकेज की सहमति संबंधी एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा कुल भार का 2,642 करोड़ रुपये अथवा 86 प्रतिशत होगा।

ऋण माफी और ऋण राहत

73. महोदय मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे योजनाएं और उपाय जो मैंने ऊपर सूचीबद्ध किए हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। एक प्रश्न अभी भी प्रासंगिक है कि हमें किसानों की ऋण- ग्रस्तता के बारे में क्या करना चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी समिति ने अनेक सिफारिशें की थी परन्तु कृषि ऋणों की माफी की सिफारिश नहीं की। लेकिन सरकार को इस समस्या की भयावहता की जानकारी है और वह किसान समुदाय विशेषतया छोटे और सीमांत किसानों की मुश्किलों के प्रति सचेत है। ऋण माफी के पक्ष और विपक्ष में ध्यानपूर्वक विचार और संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की एक योजना इस सदन के समक्ष रख रहा हूंः

(I) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक संवितरित और 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय सभी कृषि ऋणों के इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(II) सीमांत किसानों (1 हेक्टेयर तक जोत वाले) और छोटे किसानें (1-2 हेक्टेयर) के लिए उन सभी ऋणों की पूर्ण माफी होगी जो 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय हो गए थे और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे। अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों के लिए एक बारगी निपटान योजना होगी जो 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय हो गए और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे। एक बारगी निपटान के अंतर्गत 75 प्रतिशत शेष के भुगतान के एवज में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(III) बैंकों द्वारा विशेष पैकेजों के माध्यम से 2004 और 2006 में कृषि ऋण पुनर्संरचित और पुनर्निर्धारित किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में ये पुनर्संरचित ऋण और अन्य पुनर्संरचित ऋण भी या तो माफी के अथवा इसी पद्धति पर एक बारगी निपटान के पात्र होंगे।

(iv) ऋण माफी और ऋण राहत योजनाएं 30 जून, 2008 तक पूरी कर ली जाएंगी। ऋण माफी दिए जाने अथवा एक बारगी निपटान के अंतर्गत ऋण राहत के समझौते पर हस्ताक्षर होने पर, किसान सामान्य नियमों के अनुसार बैंकों से नए कृषि ऋण लेने के हकदार होंगे।

(v) सरकार का अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ रुपए छोटे और सीमांत किसानों तथा लगभग 1 करोड़ अन्य किसानों को इस योजना से लाभ प्राप्त होगा। माफ किए जा रहे अतिदेय ऋणों का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपये अनुमानित है और एकबारगी निपटान में 10,000 करोड़ रुपये के अतिदेय ऋणों को राहत मिलने का अनुमान है।

मैं माननीय सदस्यों के साथ-साथ भारत की जनता से अपील करता हूं कि वे इस योजना को अपना पूर्ण समर्थन दें तथा इस महत्वपूर्ण निर्णय को कार्यान्वित करने में सरकार को सहयोग दें।

IV निवेश, अवसंरचना उद्योग और व्यापार

74. वर्ष 2005-06 से, निवेश में सुस्पष्ट धूम रही है। दो संकेतक यह कहानी बताते हैं । 2003-04 में बचत दर और निवेश दर क्रमशः 29.8 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, 2007-08 के अंत तक ये दरें क्रमशः 35.6 प्रतिशत और 36.3 प्रतिशत होंगी। यह प्रवृत्ति विदेशी निवेश की दिशा में भी परिलक्षित हुई है। अप्रैल-दिसंबर 2007-08 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 12.7 बिलियन अमरीकी डॉलर और विदेशी संस्थागत निवेश 18 बिलियन अमरीकी डालर राशि के रहे हैं। हमारी नीति घरेलू और विदेशी, निजी और सरकारी निवेश के सभी स्रोतों को प्रोत्साहित करने की है।

75. 2008-09 में, सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में इक्विटी सहायता के रूप में 16,436 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,003 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। आज 44 सीपीएसई सूचीबद्ध हैं। सरकार की नीति है कि अधिक सीपीएसई को सूचीबद्ध किया जाए ताकि उनकी वास्तविक क्षमता प्रकट की जा सके और कारपोरेट अभिशासन में सुधार किया जा सके।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

76. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) ग्रामीण अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए बैंक निधियों को सरणीकृत करने का मुख्य साधन है और यह राज्य सरकारों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। इसलिए मैं, 2008-09 में इस विकास निधि की संग्रह निधि बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, 4,000 करोड़ रुपये की निधि से आरआईडीएफ-xiv के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए अलग विंडो संचालित करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

विनिर्माण क्षेत्र

77. छः महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योगों के उत्पादन के सूचकांक तथा अप्रैल-दिसंबर 2007-08 अवधि के लिए समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुछ मंदी हुई है। यह गिरावट उपभोक्ता वस्तुओं, खासकर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के मामले में कुछ तीव्र रही है। आशा की किरण यह है कि पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि 20.2 प्रतिशत पर अभी भी बहुत ऊंची है जो यह दर्शा रही है कि उद्योग में भारी पूंजी निवेश हो रहे हैं और भविष्य के बारे में उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है। विनिर्माण उद्योग, जो औसत से अधिक मंदी से बढ़े हैं, में परिधान, कागज और परिवहन उपस्कर

सहित खाद्य उत्पाद, सूती वस्त्र, वस्त्र उत्पाद शामिल हैं। इस मंदी के कारणों में ब्याज दरों में वृद्धि और रुपये की मूल्य वृद्धि हैं। मौद्रिक नीति समंजन की सीमाएं हैं, खासकर जब मूल्य स्थिर रखने की जरूरत हो। यद्यपि, राजकोषीय दिशा में कुछ उपाय किए जा सकते हैं और मैं औद्योगिक वृद्धि बढ़ाने के लिए अब सदन के समक्ष कुछ प्रस्ताव रख रहा हूं। हमारा लक्ष्य विनिर्माण वृद्धि दर को दो अंकों में ले जाने का है। इसके लिए कोयला और बिजली क्षेत्रों के साथ-साथ सीमेंट और इस्पात क्षेत्रों में कम विक्रेताओं और कुछ ही फर्मों द्वारा नियंत्रण की विरोधाभासी स्थिति की प्रवृत्तियों में और सुधारों की जरूरत पड़ेगी।

विद्युत

78. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य 78,577 मेगावाट क्षमता है। यह पिछली तीन योजनाओं में जुड़ी कुल क्षमता से अधिक है। मार्च 2008 के अंत तक, हम किसी योजना अवधि में पहला सबसे अच्छा साल चिन्हित करते हुए लगभग 10,000 मेगावाट की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सरकार यह सुनिश्चत करने के लिए दोहरे प्रयास करेगी कि ग्यारहवीं योजना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए।

79. चौथी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी), तिलैया का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बोली अवस्था के लिए पांच और यूएमपीपी लाने की संभावना है, बशर्ते कि राज्य अपेक्षित सहायता प्रदान करें। मैं उनसे ऐसा करने का आग्रह करता हूँ।

80. सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। मैं योजना के लिए 2008-09 में 5,500 करोड़ रुपए (एनईआर सहित) आबंटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

81. मैं त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना के लिए 2008-09 में 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखता हूँ, तथापि, पारेषण और वितरण खस्ता हाल में है, जो इस सेक्टर के लिए बाधक है। पारेषण और वितरण में भारी निवेश करने की आवश्यकता है परन्तु यह मूलभूत सुधारों से सम्बद्ध होना चाहिए। अतः मैं पारेषण और वितरण सुधार के लिए राष्ट्रीय निधि का सृजन करने का प्रस्ताव रखता हूँ। योजना का ब्यौरा जल्द ही तैयार किया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

सड़क

82. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के सभी चरणों में प्रगति जारी है। स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरा होने की दर 96.48 प्रतिशत और उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम मार्ग परियोजना की दर 23.36 प्रतिशत है। एसएआरडीपी-एनई, कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2007-08 में 180 कि.मी. सड़क पूरी की गई है और 2008-09 के लिए 300 कि.मी. सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं एनएचडीपी के लिए आवंटन, 2007-08 में किए गए 10,867 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 12,966 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

तेल और गैस

83. नई खोज लाइसेंसिंग नीति के तहत बोली का 7वां दौर दिसम्बर 2007 में प्रारंभ किया गया और 57 अन्वेषण ब्लॉकों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यह अनुमान है कि अन्वेषण और खोज के लिए यह दौर 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से 8 बिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश आकर्षित करेगा।

कोयला

84. सरकारी और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को 13,842 मिलियन टन आरक्षित भण्डार वाले 53 कोयला ब्लॉक अप्रैल-जनवरी 2007-08 के दौरान आबंटित किए गए हैं। अक्तूबर 2007 में एक नई कोयला वितरण नीति अधिसूचित की गई थी। एक कोयला विनियामक नियुक्त किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

85. सरकार की दूरदर्शी नीति से सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में वृद्धि हो रही है। मैं, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आवंटन को 2007-08 में किए गए 1,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,680 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्रॉड बैण्ड इंटरनेट आधारित सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना तथा केन्द्रीय सहायता से राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) स्थापित करने की एक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य आंकड़ा केन्द्रों के लिए नई योजना भी अनुमोदित हो गई है। मैं सामान्य सेवा केन्द्रों के लिए 75 करोड़ रुपए, स्वान के लिए 450 करोड़ रुपए और राज्य व्यापी केन्द्रों के लिए 275 करोड़ रुपए के प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वस्त्र

86. कपड़ा मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं- समेकित वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) - ग्यारहवीं योजना अवधि में जारी रहेंगी। सभी 30 समेकित वस्त्र पार्कों का अनुमोदन किया गया है और चार पार्कों के 20 एककों ने उत्पादन शुरु कर दिया है। मैं, 2008-09 में एसआईटीपी के लिए 425 करोड़ रुपए के प्रावधान को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। टीयूएफ के प्रावधान को वर्तमान वर्ष में किए गए 911 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,090 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।

87. हथकरघा सेक्टर के विकास के लिए सामूहिक दृष्टिकोण में त्वरित प्रगति हुई है। 250 समूहों का विकास किया जा रहा है। 443 यार्न बैंक स्थापित किए गए हैं। मार्च 2008 तक, 17 लाख से अधिक बुनकर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा। मैं, इसके लिए आवंटन बढ़ाकर 2008-09 में 340 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

88. अवसंरचना और उत्पादन दोनों में वृद्धि करने के लिए, बड़े समूहों के रूप में छह केन्द्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है। वाराणसी और सिबसागर में हथकरघा, भिवंडी और इरोड में पावरलूम और नरसापुर एवं मुरादाबाद में हस्तशिल्प का विकास कार्य शुरू किया जाएगा। प्रत्येक मेगा समूह के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी। मैं, 2008-09 में, 100 करोड़ रुपए के आरंभिक प्रावधान से यह प्रक्रिया शुरु करने का प्रस्ताव करता हूँ।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग

89. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को सरकार से सहायता मिलती रहेगी। मैं, इस सेक्टर के बारे में कुछ गलत धारणाओं को दूर करना चाहता हूँ। 2006-07 को समाप्त चार वर्षों जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, में पंजीकृत यूनिटों की संख्या, अपंजीकृत यूनिटों की संख्या, उत्पादन, रोजगार और निर्यातों में लगातार वृद्धि हुई है। इस सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक (सिडबी) में जोखिम पूंजी निधि के सृजन करने का प्रस्ताव करता हूँ। 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, सिडबी के साथ ऋण गारंटी न्यास ने 2,479 करोड़ रुपए की राशि के लिए 89,129 यूनिटों को गारंटी प्रदान की थी। सिडबी गारंटी शुल्क 1.5

प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करेगा और 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वार्षिक सेवा शुल्क 0.75 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करेगा।

विदेश व्यापार

90. रुपए के मूल्य में वृद्धि होने के कारण, पण्य निर्यात कुछ दबाव में है और यह 160 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य से कम हो सकता है। यद्यपि अप्रैल-दिसम्बर, 2007-08 के दौरान वृद्धि दर 21.8 प्रतिशत पर मजबूत थी। निर्यातकों को तीन किस्तों में लगभग 8000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दी गई। मैं यह कह सकता हूँ कि बाजार स्थिरीकरण योजना बांडों (एमएसएस) के माध्यम से, ब्याज निष्क्रियकरण लागत पूरे वर्ष के लिए 8,351 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह निर्यात क्षेत्र के लिए सब्सिडी के रूप में है। सरकार निर्यात क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति सचेत है और यह परिस्थिति के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहेगी।

V वित्तीय सेक्टर

91. सावधानीपूर्वक और अंशांकित वित्तीय क्षेत्र खोलने की सरकार की नीति कारगर सिद्ध हुई है। हम,समुचित कदम उठाते रहेंगे।

92. वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। आरंभ में, मैं ये दो सिफारिशें स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँः

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा में प्रति वर्ष कम से कम 250 ग्रामीण परिवारों का खाता खोलने का सुझाव देना; और
- व्यष्टियों यथा सेवानिवृत बैंक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को व्यवसाय सुविधाकारक या व्यापार-सह-सम्बन्धी अथवा ऋण सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देना।

93. बैंकों को समग्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कुछ सरकारी क्षेत्र बैंकों के नक्शे कदम पर चलने और स्व-सहायता समूह के सदस्यों की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताएं अर्थात (क) आय उपार्जक क्रियाकलाप, (ख) सामाजिक आवश्यकताएं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह आदि; और (ग) ऋण अदला-बदली की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करेगी।

नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी

94. वित्तीय समावेशन को, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी की पहुंच में विस्तार करके आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इन तीनों बैंकों का संसाधन आधार बढ़ाने के लिए, मैं अनुसूचित बैंकों के संसाधनों का उस हद तक उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ, जब तक वे प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने की अपनी बाध्यता को पूरा नहीं कर पाते। तद्नुसार निम्नलिखित निधियां गठित करने का प्रस्ताव रखा जाता हैः

(i) नाबार्ड में, इसकी अल्पावधिक सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्तपोषण कार्य में बढ़ोतरी करने के निमित्त 5,000 करोड़ रुपए की एक निधि;

(ii) सिडबी में प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ की दो निधियां - एक जोखिम पूंजी वित्तपोषण और दूसरी एमएसएमई क्षेत्र की पुनर्वित्तपोषण क्षमता बढ़ाने के लिए; और

(iii) ग्रामीण आवास क्षेत्र में इसके पुनर्वित्तपोषण कार्य बढ़ाने के लिए एनएचबी में 1,200 करोड़ रुपए की निधि।

इनमें से प्रत्येक निधि कुछ परिवर्तनों के साथ आरआईडीएफ के लिए प्रयोज्य सामान्य दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होगी।

95. विगत वर्ष मैंने लाभप्रद व्यवसायों में लगे हुए कमजोर वर्गों के समुदाय के लिए विभेदक ब्याज-दर (डीआरआई) योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाई थी। तथापि, मैंने पात्रता की सीमा नहीं बढ़ाई। यह अब भी 1986 में निर्धारित स्तर पर कायम है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपए वार्षिक आय वाले उधार लेने वाले परिवार की पात्रता सीमा निर्धारित करने के मापदण्ड का प्रस्ताव करता हूँ।

पूंजी बाजार

96. मैंने 2006 के अपने बजट भाषण में सदन को सूचित किया था कि आर. एच. पाटिल समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम कारपोरेट बांडों के लिए एक एक्सचेंज व्यापारिक बाजार का सृजन करने के निमित्त कदम उठाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने कारपोरेट बांडों में व्यापार करने के लिए मंच बना लिए हैं।

97. कारपोरेट बांडों के लिए बाजार को विस्तारित करने हेतु कुछ और उपाय करते हुए, मैं इसमें आगे बढ़ने की मंशा रखता हूँ। इसलिए मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव रखता हूँ:

- बांड, मुद्रा और व्युत्पाद बाजारों को विकसित करने के लिए उपाय करना, जिनमें एक्सचेंज व्यापारिक मुद्रा और ब्याज दर भावी सौदे शामिल होंगे तथा उपयुक्त संरक्षण सहित पारदर्शी ऋण व्युत्पाद बाजार विकसित करना।
- ऐसा प्रक्रम लागू करके घरेलू परिवर्तनीय बांडों की कारोबारिता बढ़ाना, इससे निवेशक अंतर्निहित इक्विटी विकल्प को परिवर्तनीय बांड से अलग करने तथा इसका पृथक कारोबार करने में समर्थ होगा;
- अपनी जटिलता और अंतर्निहित जोखिमों पर आधारित वित्तीय लिखतों को वर्गीकृत करने हेतु बाजार आधारित प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करना; और

98. स्थायी खाता संख्या (पैन) का डर वस्तुतः समाप्त हो चुका है। पैन अब प्रतिभूति बाजार में सभी भागीदारों के लिए एक मात्र पहचान संख्या है। मैं उपयुक्त आरंभिक छूट सीमाओं के अधीन वित्तीय बाजार में सभी लेनदेनों के लिए पैन को आवश्यक बनाने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

99. हमारे स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक व्यापार मंच उपलब्ध कराते हैं। फिर भी हमारे पास प्रतिभूतियों के लिए एक परिपूर्ण राष्ट्रीय बाजार नहीं है क्योंकि राज्यों में स्टाम्प शुल्क की दरों के दायरे और प्रयोज्यता के बारे में मतभेद हैं। अतः मैं राज्यों के वित्तमंत्रियों की सशक्त समिति से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रतिभूतियों के लिए वास्तव में एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु केन्द्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। इससे बाजार के आधार का विस्तार होगा और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी।

VI. अन्य प्रस्ताव

100. भारत 'जनसांख्यिकी लाभांश' प्राप्त करने की स्थिति में आ गया है क्योंकि 2008 में लगभग 77.5 करोड़ श्रमजीवी जनसंख्या है। इसके वर्ष 2026 में 95 करोड़ हो जाने की संभावना है। यदि कार्य बल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था को पोषित करने हेतु कौशल प्राप्त न करें, तो यह लाभांश अवास्तविक हो सकता है।

कौशल विकास मिशन

101. वर्तमान समय में कई मंत्रालय/विभाग कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन और प्रबंध कर रहे हैं। मेरी मंशा इन क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने की नहीं है। तथापि,एक विश्व स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम, मिशन मोड में आरंभ किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रदान करने की चुनौती का सामना किया जाएगा। मिशन की रूपरेखा और नेतृत्व इस प्रकार का होना चाहिए ताकि इसे सम्पूर्ण देश में शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। अतः मैं लाभ न कमाने वाले निगम की स्थापना करने और उसे इस मिशन का कार्य सौंपने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरी मंशा लगभग 15,000 करोड़ रुपए पूँजी के रूप में एकत्र करने की है, जो सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय स्रोतों से जुटाई जाएगी। मैं इस कार्य का आरंभ प्रस्तावित लाभ न कमाने वाले निगम में सरकार की इक्विटी के रूप में 1,000 करोड़ रुपए लगाकर करूँगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

102. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत, 238 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत, 29 राज्यों में संगत-औद्योगिक भागीदारों सहित 309 आईटीआई की पहचान की गई है और 244 मामलों में करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2008-09 में 300 और आईटीआई के उन्नयन की प्रत्याशा में, मैंने 750 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान किया है।

सैनिक स्कूल

103. मैं, रक्षा बलों में, विशेषकर अधिकारी स्तर पर आ रही कमी की दर से चिंतित हूँ। सैनिक स्कूलों ने रक्षा बलों के भावी भर्ती लीडरों और प्रशिक्षण के आधार के रूप में अद्वितीय भूमिका निभाई है। मैं, 22 सैनिक स्कूलों में प्रत्येक को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और शारीरिक शिक्षा सुविधाओं सहित आधारभूत ढाँचे के तत्काल सुधार के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति स्कूल की दर से 44 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

104. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्य सब्सिडी के लिए अगले वर्ष 32,667 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का अर्थ पर्याप्त आपूर्ति, उचित सब्सिडियाँ और सब्सिडीकृत खाद्य पदार्थों का कारगर वितरण करना होगा। मेरा विचार यह है कि लक्षित वर्ग को स्मार्ट कार्ड के जरिए सब्सिडियाँ प्रदान की जाएं। अंततः, मुझे दो इच्छुक भागीदार-हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र मिल गए हैं। वे क्रमशः हरियाणा और चंडीगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए प्रायोगिक आधार पर एक स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली आरंभ करेंगे। मैं, हरियाणा के मुख्य मंत्री और चंडीगढ़ के प्रशासक का धन्यवाद करता हूँ और उन्हें इस प्रायोगिक योजना की सफलता के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का वचन देता हूँ।

असंगठित क्षेत्र के कामगार

105. असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधेयक, 2007 संसद के समक्ष विचारार्थ है। इस विधेयक के कानून बनने की आशा में, सरकार ने तीन योजनाएं आरंभ की हैं।

इन्हें असंगठित क्षेत्र के कामगारों को चरणबद्ध तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। ये निम्नलिखित हैं:

- आम आदमी बीमा योजना, जिससे गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा मिलेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीवन बीमा निगम योजना के पहले वर्ष में 30 सितम्बर, 2008 तक एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शामिल करेगा। मैंने एलआईसी को 1,000 करोड़ रुपए की राशि पहले ही दे दी है। दूसरे वर्ष में, एक करोड़ अन्य गरीब परिवारों को शामिल करने हेतु, मैं वर्ष 2008-09 में एलआईसी को 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव करता हूँ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे 1 अप्रैल, 2008 से कार्यान्वित किया जाएगा।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को इस योजना में शामिल करने हेतु 19 नवम्बर, 2007 से इसका विस्तार किया गया था। परिणामस्वरूप, इस का विस्तार 87 लाख लाभार्थियों से बढ़कर 157 लाख लाभार्थियों तक कर दिया गया है। मैं, इस संबंध में वर्ष 2007-08 में किए गए 2,392 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की तुलना में वर्ष 2008-09 में 3,443 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

गरीबों के लिए आवास

106. गरीबों के लिए आवास, भारत निर्माण के छः घटकों में से एक है और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के जरिए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। 60 लाख मकानों के लक्ष्य के मुकाबले, दिसम्बर, 2007 तक 41.13 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है तथा मार्च 2008 के अंत तक 51.77 लाख मकानों का निर्माण हो जाएगा। भवन-निर्माण की उच्च लागत को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात स्वीकृत नए मकानों के संबंध में मैदानी इलाकों में प्रति इकाई सब्सिडी को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम इलाकों में 27,500 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मकानों के उन्नयन के लिए सब्सिडी 12,500 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 15,000 रुपए की जाएगी। मकान को पूरा करने के लिए लाभार्थी को तब भी अपनी निधियों की आवश्यकता पड़ेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी जाएगी कि वे इंदिरा आवास योजना के मकानों को विभेदक ब्याज दर के तहत शामिल करें और 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रति इकाई 20,000 रुपए की राशि का ऋण दें।

रक्षा

107. मैं रक्षा के लिए आबंटन को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 96,000 करोड़ रुपए से 105,600 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैंने रक्षा मंत्री को आश्वासन दिया है कि रक्षा बलों के आवश्यक विशेषकर पूँजीगत व्यय के लिए उन्हें और अधिक राशि प्रदान की जाएगी।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

108. मौजूदा वर्ष में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में 5,800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। व्यय की गति को देखते हुए, मैं अगले वर्ष के लिए आबंटन को समान स्तर पर रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस राशि का लगभग 45 प्रतिशत बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों को आवंटित किए जाने की संभावना है।

जलवायु परिवर्तन

109. मैंने पिछले वर्ष के बजट भाषण में विशेषज्ञ समिति के गठन के सरकार के निर्णय की घोषणा की थी, जो भारत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेगी और उन उपायों की पहचान करेगी जो हमें भविष्य में करने पड़ सकते हैं। इस पर कार्य चल रहा है। ''सामान्य परन्तु विशिष्टीकृत उत्तरदायित्व'' के सिद्धान्त का पालन करते हुए भी हम अपने हित में कई कार्य कर सकते हैं और हमें अवश्य करने चाहिए। हम स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं; हम ईंधन के उत्सर्जन और साधकता विनियमों की समीक्षा कर सकते हैं; हम ईंधन के लिए लकड़ी की बजाए सौर-ऊर्जा का सामान्य प्रयोग कर सकते हैं, हम गैस के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं; जो सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन है। हम कार्बन के उत्सर्जन के लिए व्यापारिक मंच की स्थापना कर सकते हैं; हम टिकाऊ ग्रीनफील्ड शहरों का निर्माण कर सकते हैं; और हम काफी कुछ कर सकते हैं। इन्हें एवं अन्य विचारों के अन्वेषण तथा कार्यान्वयन के लिए सरकार एक स्थायी संस्थागत तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव करती है, जो विकास और समन्वयन की भूमिका निभाएगा। संस्थागत तंत्र के ब्यौरे की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

छठा केन्द्रीय वेतन आयोग

110. मुझे बताया गया है कि छठा केन्द्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 2008 तक प्रस्तुत करेगा। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट सरकारी कर्मचारियों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

राष्ट्रमंडल खेल

111. राष्ट्रमंडल खेल आरंभ होने में केवल 947 दिन शेष हैं। वादे के अनुसार 2008-09 में हम 400 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे। मैं संबंधित प्राधिकारियों से यह अनुरोध करता हूँ कि समय सीमाओं और गुणवत्ता मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए।

उत्कृष्ट संस्थान

112. लगातार चौथे वर्ष के लिए, मैं तीन उत्कृष्ट संस्थानों में से प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2008-09 के पुरस्कार (i) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरि, महाराष्ट्र; (ii) मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर; और (iii) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

भारत की 'सॉफ्ट पावर'

113. भारत का संगीत, साहित्य, नृत्य, कला, पाक कला और विशेषकर फिल्में पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहीं हैं। यह भारत की 'सॉफ्ट पावर' है और इसे अत्याधुनिक और प्रखर तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को एक कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वित करने हेतु 75 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

बाघ संरक्षण

114. 1411 की संख्या एक चेतावनी की घंटी है। यह भारत के बाघों की संख्या है। बाघ का अस्तित्व संकट में है। बाघ संरक्षण के हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पुनः तेज करने के लिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को 50 करोड़ रुपए के एकबारगी अनुदान का प्रस्ताव करता हूँ। इस अनुदान का अधिकांश भाग विशेष बाघ संरक्षण बल तैयार करने, उन्हें हथियार प्रदान करने और तैनात करने में उपयोग किया जाएगा।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

115. सुदृढ़ आर्थिक विकास से कई नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, एजेंसियों, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, जिला स्तर के अभिकरणों और अन्य कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को संवितरित बड़ी धनराशियों के प्रभावी मॉनिटरिंग, मूल्यांकन - और लेखा प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता संबंधी मेरा विचार है कि हम परिणामों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना परिव्ययों पर देते हैं, अथवा वास्तविक लक्ष्यों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना वित्तीय लक्ष्यों पर देते हैं; अथवा गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं देते जितना परिमाण पर देते हैं। अतः सरकार का यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय आयोजना स्कीमों को मॉनिटर करने की प्रणाली शुरु की जाए। इसका कार्यान्वयन योजना आयोग की आयोजना स्कीम के रूप में किया जाएगा। एक व्यापक निर्णय सहायता प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। वर्ष 2008-09 में लगभग 1,000 केन्द्रीय आयोजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए योजनावार और राज्य वार राशियों का सृजन और मॉनिटर करना इसका आशयित परिणाम होगा।

116. सरकार मूल्यांकन को सुदृढ़ करना भी चाहती है। कुछ मंत्रालयों ने समवर्ती मूल्यांकन करना आरंभ किया है। अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले स्वतंत्र मूल्यांकनों में अभिवृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग प्रमुख योजनाओं के ऐसे मूल्यांकन प्राधिकृत करेगा और ग्यारहवीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा तक यह कार्य पूरा करेगा।

VII बजट अनुमान

117. अब मैं वर्ष, 2008-09 के बजट अनुमानों पर प्रकाश डालता हूँ।

118. आयोजना व्यय के संबंध में 243,386 करोड़ रुपए का अनुमान है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में यह 32.4 प्रतिशत होगा।

119. आयोजना-भिन्न व्यय का अनुमान 507,499 करोड़ रुपए है।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा

120. यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि देश की राजकोषीय स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मौजूदा वर्ष के लिए राजस्व घाटा 1.4 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत के.ब.अ. की तुलना में और राजकोषीय घाटा 3.1 प्रतिशत (3.3 प्रतिशत के ब.अ. की तुलना में) होगा।

121. वर्ष 2008-09 में अधिक प्रगति होगी। वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्ति 602,820 करोड़ रुपए अनुमानित है और 658,118 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय होने का अनुमान लगाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, 55,298 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.0 प्रतिशत है। 133,900 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत है। माननीय सदस्यगण ध्यान देंगे कि मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के तहत न केवल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करूंगा, अपितु मैंने अपने लिए कुछ गुंजाइश भी रख छोड़ी है। राजस्व घाटे के मामले में, मैं 0.5 प्रतिशत के वार्षिक घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तथापि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेक्टर के लिए व्यय में सचेत परिवर्तन के कारण इसके लिए हमें संभवतः एक और वर्ष चाहिए। मेरे विचार से यह पूर्णरूप से स्वीकार्य स्थगन है।

राजकोषीय समंजन की कार्ययोजना का पुनर्निर्धारण

122. मैं यह मानता हुं कि तेल, खाद्य और उर्वरक बांडों के कारण सरकार की महत्वपूर्ण देयताएं वर्तमान में आशा से नीचे हैं। यह लेखांकन प्रबन्ध पूर्व परम्परा के अनुकूल है। ऐसा होते हुए भी हमारा राजकोषीय और राजस्व घाटा उस सीमा तक कम आंका गया है। इन देयताओं को हमारे राजकोषीय लेखांकन में लाए जाने की जरूरत है। पहले उपाय के रूप में मैंने इन देयताओं को 'बजट का सार' में स्पष्ट रूप से दर्शाया है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कारण पड़ने वाले भार के स्पष्ट होने के बाद, मेरी मंशा तेरहवें वित्त आयोग से यह अनुरोध करने की है कि राजकोषीय समंजन की कार्ययोजना का पुनर्निर्धारण करे और समुचित रूप से संशोधित कार्ययोजना का सुझाव दे।

भाग - ख

VIII. कर प्रस्ताव

123. अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

124. अधिकांश लोग कर राजस्वों, विशेषकर प्रत्यक्ष करों में हुई अत्यधिक वृद्धि के प्रति आश्चर्यचकित हैं, मैं नहीं। मैंने सदैव यह कहा है कि भय अथवा पक्षपात रहित कर प्रशासन के साथ संतुलित और स्थिर कर दरों से राजकोष के राजस्व में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी।

125. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को 2003-04 में 9.2 प्रतिशत का कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात विरासत में मिला। वर्ष 2007-08 के अन्त में, यह अनुपात बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो जाएगा।

126. उच्च विकास दरों से सहायता मिली है। व्यवहार में हुए परिवर्तनों ने भी मदद की है। इनसे अधिक, सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी सर्वाधिक सहायक रही हैं। और, यदि मैं विनोदपूर्ण बात कहूं तो भाग्यशाली वित्त मंत्री होना भी शायद सहायक रहा है। हम अप्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों को प्राप्त करने और प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों को पार कर लिए जाने की ओर अग्रसर हैं। मैं इस अवसर पर सभी करदाताओं को धन्यवाद देता हूं और उन्हें एक कारगर और करदाता अनुकूल प्रशासन देने का आश्वासन देता हूं।

अप्रत्यक्ष कर

127. मैं, अब सीमा शुल्क से प्रारम्भ करता हूं।

128. गैर-कृषि उत्पादों की अधिकतम दर जनवरी, 2004 में 20 प्रतिशत थी और अब यह 10 प्रतिशत है। यह संग्रहण दर घरेलू उद्योग के संरक्षण स्तर के सर्वाधिक निकट अनुमान है और सभी आयातों के संबंध में यह दर वर्ष 2006-07 में 10 प्रतिशत थी। अप्रैल, 2007 से, डालर के मुकाबले रुपए में 9.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इस स्तर पर अधिकतम दर घटाने की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए, मैं सीमाशुल्क की अधिकतम दर में कोई परिवर्तन न करने का प्रस्ताव करता हूं।

129. तथापि, मैं महसूस करता हूं कि कुछ मामलों में, सीमा शुल्क को घटाना आवश्यक है ताकि सम्बद्ध उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सके अथवा मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन मिले अथवा विपर्यय या किसी विसंगति को दूर किया जा सके। मैं कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख करूंगा।

130. मैं परियोजना आयातों पर सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, मैं विद्युत क्षेत्र की कुछ विशिष्ट परियोजनाओं पर 4 प्रतिशत विशेष सीवीडी लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

131. कच्ची सामग्री की आपूर्ति में सुधार के लिए, मैं स्टील मेल्टिंग स्क्रैप और एल्युमिनियम स्क्रैप पर शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव करता हूं।

132. कतिपय निर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और ऐसी औषधियों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त प्रपुंज औषधियों पर, मैं सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने, साथ ही उन्हें पूर्णतः सीमा शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

133. पशु तथा कुक्कट खाद्य सामग्री के विनिर्माण की लागत घटाने के लिए, मैं विटामिन प्रीमिक्सेज तथा खनिज मिश्रण पर शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत और फास्फोरिक एसिड पर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

134. बेक्टोफ्यूज पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया जाएगा। इससे दूध के भण्डार और उपयोग होने तक की अवधि बढ़ जाएगी और डेयरी उद्योग को फायदा मिलेगा।

135. मैं सेट टाप बाक्सों के विशिष्ट पुर्जों और सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग में इस्तेमाल के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

136. सूचना/संचार क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र में प्रयोग हो रहे उपकरणों के बीच समानता स्थापित करने हेतु, मैं समाभिरूप उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

137. खेलों के सामान के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, मैं निर्दिष्ट मशीनरी पर उत्पाद शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं खेलों के सामान के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

138. पिछले वर्ष उत्पाद शुल्क में की गई कमियों के फलस्वरूप, रत्न और जवाहरात उद्योग ने अच्छा परिणाम दिया है। मूल्यवर्धन और निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, खुरदरे क्यूबिक जिरकोनिया को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने और पालिश किए हुए क्यूबिक जिरकोनिया पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसी प्रकार, खुरदरे मूंगा पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

139. हेलीकाप्टर पायलटों के प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए, मैं हेलीकाप्टर सिमूलेटरों पर उत्पाद-शुल्क हटाने का प्रस्ताव करता हूं।

140. घरेलू उर्वरक उत्पादन में सहायता करने के लिए, मैं कच्चे और अपरिष्कृत सल्फर पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

141. निर्यात प्रसुविधाओं और शुल्क छूटों की संयुक्त व्यवस्था की मेहरबानी से, नाफ्था का निर्यात रिफाइनरियों से किया जाता है और पॉलिमर विनिर्माताओं द्वारा नाफ्था का आयात किया जाता है जिससे कीमत में विकृति आती है और राजस्व हानियां होती हैं। मैं पॉलिमरों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए नाफ्था पर शुल्क छूट वापस लेते हुए स्थिति सुधारने और इसे 5 प्रतिशत की सामान्य दर पर रखने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित नाफ्था को आयात शुल्क से छूट मिलती रहेगी।

142. अंततः क्रोम अयस्क के संरक्षण के लिए और भारत में इसे मूल्यवर्धित विनिर्माण के लिए उपलब्ध कराने हेतु, मैं निर्यात शुल्क 2,000 रुपये प्रति मी. टन से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति मी. टन करने का प्रस्ताव करता हूं।

143. मैं अब उत्पाद शुल्कों का उल्लेख करता हूं।

144. विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। उपभोग उत्पादन को संचालित करता है और उत्पादन निवेश को संचालित करता है। महसूस होता है कि उत्पादन और उपभोग की मौजूदा प्रवृत्तियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अतः मैं, सभी वस्तुओं पर सामान्य सेनवैट दर 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

145. मैंने कुछ विशिष्ट क्षेत्र देखे हैं जहां वृद्धि धीमी हो रही है। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विकास और रोजगार के संचालक हैं। उनमें से कुछ के विस्तृत बाह्यकारक भी हैं। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

- फार्मास्यूटिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना;

- बसों और उनकी चेसिस पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना;
- छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना और हाइब्रिड कारों पर उत्पाद शुल्क 24 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत की सामान्य संशोधित दर पर करना;
- दुपहियों और तिपहियों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना; और
- जिन यूनिटों के पास संबद्ध बांस/काष्ठ लुगदी बनाने का संयत्र नहीं है उनके लिए कागज, पेपर बोर्ड और उनसे अपारंपरिक कच्चे माल से विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना और 3,500 मी. टन तक की निकासियों पर और 8 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना। इसके अतिरिक्त, लेखन, मुद्रण और पैकिंग पेपर की कुछ किस्मों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना।

146. अनेक ऐसे उत्पाद हैं जो आम जनता के उपभोग की वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुओं पर कर समानता की जरूरत भी है। अनेक उद्योगों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, मैं कम्पोस्टिंग मशीनों, वायरलैस डाटा कार्डों, पैक किए गए नारियल पानी, चाय और काफी मिश्रण और मुरमुरों सहित कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव करता हूं।

147. इसके अलावा, मैं जल शुद्धिकरण यंत्रों, परतों और फ्लश दरवाजों, जीवाणुहीन प्रसाधन गद्दियों आदि, निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री और नाश्ते में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्न सहित कुछ वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

148. मैं एड्स रोधी औषध, अटाजनवीर के साथ-साथ इसके विनिर्माण के लिए प्रपुंज दवाओं को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

149. शीतागार सुविधाओं को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, मैं 50 किलोवाट या अधिक की बिजली का उपयोग करने वाले 2 टीआर (टन रेफ्रिजरेशन) से अधिक प्रशीतन उपस्कर (जिसमें कंप्रेशर, कंडेंसर यूनिट, इवेपोरेटर आदि शामिल हैं) पर अन्तिम प्रयोग आधार पर छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

150. मैं प्रपुंज सीमेंट और पैकेज्ड सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क दरों में समानता लाने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, प्रपुंज सीमेंट पर अब 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन अथवा 14 प्रतिशत यथामूल्य, जो भी अधिक हो, का उत्पादन शुल्क लगेगा। सीमेंट की ईंटों (क्लिंकरों) पर 450 रुपए प्रति मीट्रिक टन का उत्पादन शुल्क देय होगा।

151. इसी प्रकार, मैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे इसे कस्टमाइज्ड साफ्टवेयर की बराबरी पर लाया जा सके, जिस पर 12 प्रतिशत सेवा कर लगेगा।

152. फिल्टर-रहित सिगरेटें, फिल्टर सिगरेटों से अधिक विषाक्त हैं, फिर भी उन्हें अनुकूल कर व्यवस्था का लाभ प्राप्त है, जो अनुचित है। मैं फिल्टर और फिल्टर रहित दोनों सिगरेटों पर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने अनुमान लगाया होगा, उच्च दरों पर समान कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

153. दुष्प्रचार के स्रोत को हटाने के उद्देश्य से, मैं अनब्रान्डेड पेट्रोल और अनब्रान्डेड डीजल पर उत्पाद शुल्क के यथा मूल्य भाग को समाप्त करने और उसके स्थान पर 1.35 रुपए प्रति लीटर का एक समान विशिष्ट शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। अब से, अनब्रान्डेड पेट्रोल पर 14.35

रुपए प्रति लीटर और अनब्रान्डेड डीजल पर 4.60 रुपए प्रति लीटर का केवल एक विशिष्ट शुल्क होगा। खुदरा मूल्यों पर कोई असर नहीं पडेगा।

154. इस समय, एनसीसीडी नामक 1 प्रतिशत का उत्पाद-शुल्क पोलिएस्टर फिलामेंट धागे पर लगाया जाता है। यह इस उत्पाद-शुल्क को वहन करने वाला अकेला धागा है। मैं इस शुल्क को हटाकर इसे सेल्युलर मोबाइल फोनों पर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

155. अन्ततः, मैं सेवा कर संबंधी अपने प्रस्तावों पर आता हूं।

156. सेवा क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में 55 प्रतिशत का योगदान किया जाता है। यह एक वृद्धिशील क्षेत्र है जिसे राजकोष में अपना उचित योगदान अवश्य करना चाहिए। मैं चार सेवाओं को सेवाकर के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूं। ये हैंः

(i) यूलिप के अंतर्गत प्रदत्त आस्ति प्रबंधन सेवा, ताकि इसे म्युचुअल फंडों के अधीन प्रदत्त आस्ति प्रबंधन सेवा के समकक्ष लाया जा सके;

(ii) स्टाक/पण्य एक्सचेंजों और समाशोधन गृहों द्वारा प्रदत्त सेवाएं;

(iii) उन मामलों में जहां वैट देय नहीं हैं, वस्तुओं का प्रयोग करने का अधिकार; और

(iv) कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जिससे इसे पैकेज्ड सोफ्टवेयर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बराबर लाया जा सके।

157. मैं कतिपय सेवाओं के संबंध में उठाई गई अवांछित शंकाओं को दूर करने और यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता हूं कि उन पर सेवा कर लगना चाहिए। इनमें मनी चेंजर, दांव का खेल चलाने वाले व्यक्ति और कॉन्ट्रेक्ट कैरिज वाहनों का प्रयोग करने वाले टूर आपरेटर शामिल हैं।

158. कुछ विविध परिवर्तन हैं जिन पर मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

159. अन्ततः मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि लघु सेवा प्रदाताओं के लिए छूट की आरंभिक सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की जाएगी। परिणामस्वरूप, लगभग 65,000 लघु सेवा प्रदाता कर दायरे से निकल जाएंगे।

प्रत्यक्ष कर

160. अब मैं प्रत्यक्ष करों पर आता हूं।

161. मैं 2007 के बजट भाषण का स्मरण दिलाता हूं। मेरा विश्वास है कि साहस काम आता है। मेरा यह भी मानना है कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। नियंत्रण से राजस्व और निष्पक्षता से अनुपालन होगा। आय कर दाताओं ने कुछ राहत के विषय में एक आकर्षक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तदनुसार मैं, वैयक्तिक आयकर स्लैबों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं छूट की प्रारंभिक सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं :

- सभी निर्धारितियों के मामले में 1,10,000 रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए की जाए, इस प्रकार प्रत्येक निर्धारिती को न्यूनतम 4,000 रुपए की राहत मिल जाएगी। परिणामस्वरूप, तीन श्रेणियां और कर-दरें निम्नानुसार होंगीः

1,50,000 रुपए तक	शून्य
1,50,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,001 रुपए और अधिक	30 प्रतिशत

- महिला निर्धारिती के मामले में 1,45,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की जाए;
- वरिष्ठ नागरिक के मामले में 1,95,000 रुपए से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए की जाए।

162. कारपोरेट आय कर की दरों में, मैं कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं।

163. अधिभार की दर में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

164. मैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 और डाकघर मियादी जमा खाता को आय कर अधिनियम की धारा 80ग के तहत बचत लिखतों के वर्ग में रखने का प्रस्ताव करता हूं।

165. ऐसे व्यक्ति, जो अपने माता-पिता के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है, के लिए, मैं धारा 80घ के तहत 15,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता हूं।

166. मौजूदा वित्त वर्ष में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रतिवर्ती बंधक योजना अधिसूचित की गई। इस योजना से उत्पन्न कर मुद्दों का समाधान करने के लिए, मैं आय कर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे निम्नलिखित की व्यवस्था होः

(i) प्रतिवर्ती बंधक 'अंतरण' नहीं होगा; और

(ii) वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त राजस्व को आय नहीं माना जाएगा।

167. कृषि आय आयकर से छूट प्राप्त है। तथापि, न्यायालयों ने यह व्यवस्था दी है कि भूमि पर पौध लगाकर अथवा बुआई करके उगाना कृषि है किन्तु उन्हें गमलों में उगाना कृषि नहीं है। यह उचित नही लगता। अतः मैं, पौधशाला में पौध लगाकर अथवा बुआई करके उगाए गए पौधों से अर्जित आय पर कर में छूट देने का प्रस्ताव रखता हूं।

168. कतिपय कारबारों में लगी कंपनियों को आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले किसी व्यय पर 150 प्रतिशत भारित कटौती की अनुमति है। मैं इस सूची में बीजों का उत्पादन और कृषि साधनों के विनिर्माण को शामिल करने का प्रस्ताव रखता हूं।

169. अनुसंधान की आउट-सोर्सिंग को संवर्धित करने के लिए, अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी कंपनियों को किए जाने वाले किसी भी भुगतान पर 125 प्रतिशत भारित कटौती अनुमत करने का प्रस्ताव करता हूं।

170. मैं सेवा क्षेत्र में निर्धारितियों को धारा 35घ के अंतर्गत कुछ प्राथमिक खर्चों के परिशोधन के लाभों के विस्तार की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

171. कारपोरेट ऋण बाजार के संबंध में मेरे द्वारा पहले घोषित किए गए उपायों में अभिवृद्धि के लिए, मैं डीमैट रूप में जारी और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कारपोरेट ऋण लिखतों को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट देने का प्रस्ताव रखता हूं।

172. मैं अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) से संबंधित कानून के उपबंधों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखता हूं जिससे कारपोरेट और फर्मों को कुछ राहत मिलेगी। शिशु सदन सुविधाएं, किसी खिलाड़ी कर्मचारी का प्रायोजन, कर्मचारियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन और अतिथि गृहों को एफबीटी के दायरे से बाहर किया जाएगा।

173. इस समय, घरेलू कंपनी लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। परिणामस्वरूप, वितरित लाभांश पर कभी-कभी सहायक कंपनी और इसकी मूल कंपनी के हाथों दो बार कर लग जाता है जिससे दिक्कतें पैदा होती हैं। इस दिक्कत को दूर करने के उद्देश्य से, मैं मूल कंपनी को इसकी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश का समंजन मूल कंपनी द्वारा वितरित लाभांश में से करने की अनुमित देने का प्रस्ताव करता हूं, परन्तु यह कि प्राप्त लाभांश पर डीडीटी लगाया गया हो और मूल कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी न हो।

174. मैं, शहरी समूहों के बाहर किसी स्थान में स्थित अस्पतालों को पंचवर्षीय करावकाश प्रदान करने के लिए धारा 80झख में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, और ये विशेषतः टियर-2 और टियर-3 शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देंगे। यह अवसर 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2013 की अवधि के लिए खुला होगा जिससे पूर्व, अस्पताल को कामकाज शुरू करना होगा।

175. पर्यटकों, विशेषकर सांस्कृतिक पर्यटन के लिए, संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को देखते हुए, मैं यूनेस्को द्वारा घोषित 'विश्व विरासत स्थलों' के विनिर्दिष्ट जिलों में स्थापित दो, तीन अथवा चार सितारा होटलों को आयकर से पांच वर्ष का करावकाश प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। होटल का निर्माण और कार्य आरंभ 1 अप्रैल, 2008 और 31 मार्च, 2013 के बीच की अवधि में होना चाहिए।

176. मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि कयर बोर्ड को धारा 10(29क) में शामिल किया जाएगा और वह आय कर के दायरे से बाहर हो जाएगा।

177. बांटे गए लाभांशों पर 15 प्रतिशत कर लगता है। अल्पावधिक पूंजी लाभों पर धारा 111क के अंतर्गत 10 प्रतिशत कर लगता है। दरों को समान करने में अच्छाई है, इसीलिए मैं धारा 111क और 115कघ के अंतर्गत अल्पावधिक पूंजी लाभों पर कर की दर बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह निवेशकों को दीर्घावधि के लिए निवेशित रहने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

178. वर्तमान में, भुगतान किए गए प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) की अनुमति, कर देयता में छूट के रूप में प्राप्त है। इसके अलावा, ऑप्शनों पर एएटीटी, स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम के कुल योग पर लगाया जाता है और इसे विक्रेता द्वारा वहन किया जाता है। मैं, इस में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। अब से, भुगतान किए गए एसटीटी को व्यापार आय में से किसी अन्य कटौती योग्य व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑप्शनों के मामले में, एसटीटी का उद्ग्रहण केवल इस ऑप्शन पर किया जाएगा, जहां आप्शन का प्रयोन न किया गया हो और यह देयता विक्रेता पर होगी। प्रयोग किए गए ऑप्शन के मामले में कर, निपटान मूल्य पर लगाया जाएगा और देयता क्रेता पर होगी। वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

179. वस्तुओं के भावी सौदों में लेन-देन का युग आ गया है। अतः मैं ऑप्शनों और फ्यूचरों पर एसटीटी की तर्ज पर पण्य लेन-देन कर (सीटीटी) आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूं।

180. 'धर्मार्थ प्रयोजन' में गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी राहत और इसी प्रकार का अन्य कार्य शामिल है। इन कार्यों को कर से मुक्त रखा गया है, जैसाकि होना चाहिए। तथापि, कुछ कंपनियों, जो किसी कारोबार, वाणिज्य अथवा व्यापार संबंधी कोई नियमित कारोबार, वाणिज्य अथवा व्यापार चला रही है अथवा इनके विषय में सेवा प्रदान कर रही है और आय का अर्जन कर रही हैं, ने यह दावा किया है कि उनके प्रयोजन भी 'धर्मार्थ प्रयोजन' की श्रेणी में आएंगे। स्पष्ट रूप से यह संसद की मंशा नहीं थी और इसलिए मैं उपर्युक्त मामलों को शामिल न किए जाने हेतु कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। वास्तविक धर्मार्थ संगठन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे।

181. बैंकिंग नकद लेन-देन कर (बीसीटीटी) आय कर विभाग की सूचना प्रणाली को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी रहा है। चूंकि सूचना, विगत कुछ वर्षों में शुरू किए गए अन्य लिखतों के जरिए भी एकत्र की जा रही है, अतः 1 अप्रैल, 2009 से मैं इस कर को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

182. प्रत्यक्ष करों के संबंध में मेरे कर प्रस्तावों से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु अप्रत्यक्ष करों के संबंध में प्रस्तावों से 5,900 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है।

केन्द्रीय बिक्री कर और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी कार्य योजना

183. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हुए करार के पश्चात् केन्द्रीय बिक्री कर की दर इस वित्त वर्ष में 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गई थी। अब इसे 1 अप्रैल, 2008 से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। हानियों, यदि कोई हों, की क्षतिपूर्ति के संबंध में बातचीत चल रही है और यदि करार हो जाता है तो नई दर अधिसूचित की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर आरंभ करने के लिए कार्य योजना तैयार करने में पर्याप्त प्रगति हुई है।

IX. निष्कर्ष

184. अध्यक्ष महोदय, किसी समय विश्व के उत्पादन में भारत और चीन का योगदान 50 प्रतिशत था। हमें अपनी पुनः स्थिति प्राप्त करनी चाहिए और ऐसा करने की हमारे अन्दर क्षमता है।

185. सरकार में हमारा कार्य प्रतिदिन प्रतिघंटा संपूर्ण रोजगार, गरीबी उन्मूलन और असमानता को समाप्त करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग की खोज करना है। 'ये लक्ष्य राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि से प्राप्त किए जा सकते हैं और इसीलिए हमारी आर्थिक नीति का लक्ष्य भरपूर और उचित वितरण होना चाहिए। हमें धन का उपार्जन करना और तत्पश्चात् उसका उचित बंटवारा करना चाहिए। धन के बिना, हम कल्याणकारी राज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये मेरे शब्द नहीं हैं; ये शब्द वर्ष 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, परन्तु समावेशी विकास वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि, वास्तव में उन्होंने उसकी दशाओं का वर्णन किया था।

186. ये शब्द संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक वैसे ही जैसाकि मैं मार्गदर्शन और आश्वासन के लिए हमेशा संत तिरुवल्लुवर की शरण में जाता हूं। 2000 वर्ष पहले, उन्होंने निम्नलिखित अमर वाणी में अच्छे शासन के लिए निर्देशचिन्ह निर्धारित किया हैः

> ''**कोड़यई आऋ सिंगोल कुड़ी ओम्बल**
> **नांन्गुम उड़यनम वेन्धरक्कु ओली**''
>
> [उदारता से दान, भावग्राही, उत्तम व्यवस्था और
> पद्दलितों का सहायक सुशासन की पहचान हैं]

हमने इस दर्शन के प्रति ईमानदार रहने के प्रयास किए हैं। चार वर्षों में 2007-08 अब तक का सर्वोच्च वर्ष रहा है, परन्तु मैं विनम्रता से कहता हूं कि अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ है।

187. महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं।